न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/13/2022 वाद — दायर दिनांक 11.02.2022

उनवान

1. भुरालाल पिता मानाराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निवासी केलवा तहसील एवं जिला राजसमन्द।

बनाम

1. अनिता पत्नी छगनलाल जाति भाण्ड आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ओमप्रकाश पिता शराफचन्द जाति कंजर–फोत के बजाय–
   1. राजु पिता ओमप्रकाश जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2. भगवानीबाई बेवा ओमप्रकाश जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कमलादेवी पत्नी बेणीराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. कालुराम पिता चमना जाति ढोली आयु वयस्क निवासी खात्याखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नानालाल पिता नाथु जाति खटीक आयु वयस्क निवासी खटीक मौहल्ला, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नारायणलाल पिता प्रताप जाति रेगर आयु वयस्क निवासी केलवा हाल मुकाम गोयल हॉस्पीटल के पिछे कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. पन्नालाल पिता गणेशलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. प्रेमचन्द पिता शराफचन्द जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. भगवानलाल पिता भैरूलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़)

—वादी

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88–89 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः **09.01.2025**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 एक से लगायत 9 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम कपासन तहसील कपासन के अन्दर हल्के बैरुनी में स्थित हाल आराजी नं0 1611 रकबा 0.13 है0 स्थित है।

यह कि वादगत आराजीयात को वादी के द्वारा दिनांक 31.05.1997 को क्रय किया जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा स्थित है तथा रजिस्टर्ड बहनामा के माध्यम से क्रय किया गया तथा बहनामा में क्रय का नाम भुरालाल पिता मानाराम जाति रेगर निवासी केलवा तहसील राजसमन्द अंकित है तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बाद में गलती से वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में भूरालाल पिता नानालाल जाति रेगर दर्ज कर दिया जो गलत है, इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जाकर के वादी का नाम इन्द्राज दुरूस्त किया जा करके भूरालाल

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़

मानाराम जाति रेगर दर्ज किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें।

यह कि वादगत आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवाडा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज है पत्थर गाड रखे है लेकिन राजस्व जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिससे वादी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा मौके पर पर्याप्त सीमांकन करने में दिक्कत पैदा हो रही है इसलिये बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर के वादग्रस्त आराजीयात का वादी को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें तथा उसी अनुसार बंटवाडा कराया जाकर के अलग से लगानवन्दी कायम कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें तथा उसी अनुसार बंटवाडा कराया जावें।

यह कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु दिनांक 04.01.2022 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवाडा कराने के लिये तैयार नहीं हुये इसलिये दिनांक 04.01.2022 से बिनाय वाद पैदा होकर निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में प्रार्थना की कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर के वादी का नाम इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व जमाबन्दी में भूरालाल पिता नानालाल रेगर के स्थान पर भूरालाल पिता मानाराम रेगर किये जाने की घोषणात्मक डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें। बटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर के वादगत आराजीयात का वादी का हिस्सा 1/9 आराजी का बंटवाडा कराया जाकर के अलग से खाताबन्दी व लगानवन्दी मौके व कब्जे के अनुसार कराये जाने की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7, 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ जो शा0 फा0 किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2, 3, 4, 6, 8 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 02.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। व शेप की ओर से पूर्व में इकवालिया जवाब प्रस्तुत।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 25.08.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 24.07.2024 से शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 09.01.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की ग्राम कपासन तहसील कपासन के अन्दर हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी नं0 1611 रकबा 0.13 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.13 है0 स्थित हैं में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. भूरालाल पिता मानाराम जाति रेगर सा0 केलवा खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/9	0.0119	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0119	

2. अनिता पत्नी छगनलाल जाति भाण्ड सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/6	0.0119	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0119	

3. ओमप्रकाश पिता शराफचन्द जाति कंजर सा0 मेवदा कॉलोनी (फौत) के वारिसान राजु पिता ओमप्रकाश हिस्सा 1/2, भगवानीबाई पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 जाति कंजर सा0 मेवदा कॉलोनी खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/1	0.0120	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0120	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

कालुराम पिता चमना जाति ढोली सा0 खात्याखेडी खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/7	0.0120	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0120	

5. नानालाल पिता नाथु जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/5	0.0119	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0119	

6. नारायणलाल पिता प्रताप जाति रेगर सा0 केलवा हाल मुकाम कपासन खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/8	0.0120	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0120	

7. पन्नालाल पिता गणेशलाल जाति खटीक सा0 गोराजी का निम्बाहेडा खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/4	0.0119	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0119	

8. प्रेमचन्द पिता शराफचन्द जाति कंजर सा0 मेवदा कॉलोनी खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/2	0.0120	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0120	

9. भगवानलाल पिता भैरूलाल जाति बैरवा सा0 गुमानपुरा खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611/3	0.0119	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0119	

10. भूरालाल पिता मानाराम जाति रेगर सा0 केलवा खातेदार हिस्सा 25/225, कमलादेवी पत्नी बेणीराम हिस्सा 25/225 जाति रेगर सा0 राशमी खातेदार, ओमप्रकाश पिता शराफचन्द जाति कंजर हिस्सा 25/225 सा0 मेवदा कॉलोनी (फौत)– राजु पिता ओमप्रकाश हिस्सा 50/225, भगवानीबाई पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 50/225 जाति कंजर सा0 मेवदा कॉलोनी खातेदार, कालुराम पिता चमना जाति ढोली सा0 खात्याखेडी हिस्सा 25/225, नानालाल पिता नाथु जाति खटीक सा0 देह खातेदार हिस्सा 25/225, नारायणलाल पिता प्रताप जाति रेगर सा0 केलवा हाल मुकाम कपासन खातेदार हिस्सा 25/225, पन्नालाल पिता गणेशलाल जाति खटीक सा0 गोराजी का निम्बाहेडा खातेदार हिस्सा 25/225, प्रेमचन्द पिता शराफचन्द जाति कंजर सा0 मेवदा कॉलोनी खातेदार हिस्सा 25/225, भगवानलाल पिता भैरूलाल जाति बैरवा सा0 गुमानपुरा खातेदार हिस्सा 25/225

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1611 मीन	0.0225	बा0 1
योग	कुल किता–01	0.0225	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सकलेचा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन